7

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज प्रकरण संख्या — 151/2016 उनवान शब्बीर बनाम अब्दुल रसीद वगैरह दावा बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी
2019	पत्रावली पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। इस न्यायालय द्वारा दिनांक 06.04.2017 के द्वारा वाद वादी प्राथमिक रूप से स्वीकार किया जाकर दावे की मद संख्या 11 (क) के अनुसार वाद डिकी किया जाकर तहसीलदार झुंझुनू को 500/—रूपयें मौका फीस पर मौका कमिश्नर नियुक्त कर विभाजन प्रस्ताव चाहा गया। तहसीलदार झुंझुनू द्वारा विभाजन प्रस्ताव अपने पत्र कमांक राजस्व/2017/1990 दिनांक 30.06.2017 पेश किया गया। विभाजन प्रस्ताव पर वकील वादी को सुना गया। जिससे वकील वादी ने मुताबिक विभाजन प्रस्ताव के वाद वादी अन्तिम डिकी करने का निवेदन किया। विभाजन प्रस्ताव प्राथमिक निर्णय के अनुसार है। जिसके अनुसार वाद डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः **आदेश** वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव के अनुसार अन्तिम रूप से डिकी किया जाता है कि विभाजन प्रस्ताव निर्णय व डिक्री का भाग रहेगा। तहसीलदार झुंझुनू को आदेशित किया जाता है कि वे मुताबिक विभाजन प्रस्ताव के राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर पालना करें। खर्चा वादी अपना वहन करें। तदनुसार पर्चा डिकी जारी हो। निर्णय आज दिनांक 06.02.2019 को खुले न्यायालय सुनाया गया। 6.2.19 उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड अधिकारी झुंझुनूं	

मुल वाद मे डिक्री

(आदेश 20 नियम 6 एवं 7 जा.दी.)

अज अदालत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी अलका बिश्नोई (आर.ए.एस.), उपखण्ड अधिकारी, झुंझुनू

उनवान

शब्बीर बनाम अब्दुल रसीद वगैरह

दावा बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा

प्रकरण संख्या 151 / 2016 दिनांक 06.02.2019

वादी की ओर से वकील श्री विक्रम दुलड उपस्थित। इस वाद मे आज तारीख 06.02.2019 को श्रीमती अलका बिश्नोई, उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू के समक्ष निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश दिया जाता है और डिक्री की जाती है कि वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव के अनुसार अन्तिम रूप से डिक्री किया जाता है कि विभाजन प्रस्ताव निर्णय व डिक्री का भाग रहेगा। तहसीलदार झुंझुनू को आदेशित किया जाता है कि वे मुताबिक विभाजन प्रस्ताव के राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर पालना करें। खर्चा वादी अपना वहन करें।

यह डिक्री आज दिनांक 06.02.2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रा से जारी की गई।

(अलका बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू

वादी के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
स्टाम्प अर्जी दावा	5	स्टाम्प वकालतनामा	0
स्टाम्प वकालतनामा	36	स्टाम्प अर्जी	
स्टाम्प वजह सबुत		मेहनतनामा वकील पर	
मेहनतनामा वकील		खर्चा गवाहान	
खर्चा गवाहान		फीस कमिशनर	
फीस कमिशनर		बाबत इजराय हुक्मनामा	
बाबत इजराय हुक्मनामा		मुतफरिक	
कुल	41	कुल	0

(अलका बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू